वर्ष 2012–2013 की कार्य योजना

क. केन्द्रीय प्रायोजित योजना का राज्याशं (10%)

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए समेकित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 प्रतिशत की राशि राज्य सरकार के स्तर पर वहन किया जाना है जबकि 90 प्रतिशत की राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। समेकित बाल विकास योजना के विभिन्न अवयवों के लिए राज्यांश–राशि का प्रावधान निम्नवत् प्रस्तावित है :–

चालू योजनाएँ :–

1. समेकित बाल विकास योजना (204 बाल विकास परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना)

भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को रु० **3000=00** एवं सहायिकाओं को रु० **1500=00** प्रतिमाह तथा लधु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को रु0 **1500=00** की दर से मानदेय की राशि स्वीकृत किया गया है तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए किराया रु० **200=00** प्रतिमाह एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्दों के लिए रु० **750=00** प्रतिमाह प्रतिकेन्द्र निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन एवं अन्य स्थापना मदों में राशि व्यय की जानी है। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **21,52,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **20,30,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **41,82,00,000=00** (एक्तालिस करोड़ बिरासी लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

2. मेडिसिन किट्स

आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भारत सरकार के निर्देश के आलोक में मेडिसिन किट्स देने का प्रावधान है ताकि साधारण बीमारियों का प्राथमिक उपचार/रोक–थाम किया जा सके तथा बेहतर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में भेजने का परामर्श दिया जा सके। भारत सरकार द्वारा मेडिसिन किट्स की आपूर्ति हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष दर **600=00** रूपया निर्धारित की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० **13,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **12,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **25,00,000=00** (पच्चीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

3. स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स

इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जानी है, जिसके अन्तर्गत खेल–खेल के माध्यम से बच्चों के सामाजिक, शारिरिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्री–स्कूल किट्स की आपूर्ति की जानी है। भारत सरकार द्वारा प्री–स्कूल किट्स की आपूर्ति हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष **1000=00** रूपये निर्धारित की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० **22,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **20,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **42,00,000=00** (बियालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

4. प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों को इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता सृजित की जानी है। भारत सरकार द्वारा प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष **1000=00** रूपये निर्धारित की गई है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत इस योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० **22,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **20,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **42,00,000=00** (बियालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

5. प्रशिक्षण (स्ट्रेप) राज्यांश 90:10 (केन्द्र प्रायोजित योजना)

भारत सरकार इस योजना पर **90%** की राशि वहन कर रही है जबकि **10%** की राशि राज्य सरकार को वहन किया जाना है। राज्य योजनान्तर्गत यह एक नई योजना है, जबकि केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत इसका क्रियान्वयन पूर्व से हो रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य की आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका/महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **23,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **21,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **44,00,000=00** (चौव्वालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

ख. राज्य योजना मद (चालू योजनाएँ)

बाल कल्याण

6. प्रतिप्रेषण गृहों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार

राज्य में यह योजना किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत है जिसके कारण राज्य के प्रत्येक जिले में बाल अपराधी बच्चें/बच्चियों को रखने हेतु जिलों में प्रतिप्रेषण गृहों का निर्माण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में नये प्रतिप्रेषण गृह निर्माण की योजना नहीं है। बल्कि पूर्व से निर्मित प्रतिप्रेषण गृहों की मरम्मति कराना तथा इन गृहों में उपस्कर की आपूर्ति करने की योजना है। फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों का क्रय उपायूक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत प्रतिप्रेषण गृह के अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु रु0 **48,00,000=00** तथा प्रतिप्रेषण गृहों में आपूर्ति एवं सामग्री हेतु रु0 **4,00,000=00** अर्थात कुल रु0 **52,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत प्रतिप्रेषण गृह के अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु रु0 **40,00,000=00** तथा प्रतिप्रेषण गृहों में आपूर्ति एवं सामग्री हेतु रु0 **8,00,000=00** कुल रु० **48,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

7. बाल, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना

इस योजना के अन्तर्गत बाल, अनाथों, आश्रयहीन बच्चों के जीवनयापन, शिक्षा एवं गुणात्मक विकास के लिए प्रयास किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अनाथ एवं आश्रयहीन बच्चों की देखभाल करनेवाली अनुभवी एवं योग्य गैर सरकारी संस्था के माध्यम से योजना का कार्यान्वयन कराया जाता है जिससे की अनाथ एवं आश्रयहीन बच्चों का जीवनयापन सुनिश्चित हो सके ताकि उनकी शिक्षा का भी गुणात्मक विकास किया जा सके। योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के

टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **36,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **34,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **70,00,000=00** (सत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध स्वीकृत करने का प्रस्ताव है।

महिला कल्याण

8. कार्यकारी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2012–13 में गुमला एवं धनबाद जिला में एक कार्यकारी महिला छात्रावास भवन निर्माण की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भवन तथा पूर्व से निर्मित भवनों में फर्निचर एवं उपस्कर आपूर्ति करने की भी योजना है। फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों का क्रय उपायूक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत कार्यकारी महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रु0 **1,00,00,000=00** तथा पूर्व से निर्मित एवं प्रस्तावित भवन में फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों हेतु रु0 **14,00,000=00** कुल रु0 **1,14,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत कार्यकारी महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रु0 **1,00,00,000=00** तथा पूर्व से निर्मित एवं प्रस्तावित भवन में फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों हेतु रु0 **6,00,000=00** कुल **1,06,00,000=00** अर्थात कुल रु० **2,20,00,000=00** (दो करोड़ बीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

9. हेल्प लाईन योजना

इस योजना के अर्न्तगत राज्य में हेल्प लाईन योजना का संचालन गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। यह योजना बच्चों एवं महिलाओं के कल्याणार्थ हेतु चलायी जा रही है। अतः योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **50,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **30,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **80,00,000=00** (अस्सी लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

10. उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन/अल्प अवधि विश्राम गृह–सह–प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन

इस योजना के अन्तर्गत समाज की तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में समायोजित करने तथा इनके पुनर्वास एवं आर्थिक उत्थान के लिए राज्य में उत्तर रक्षा गृह/नारी निकेतन/अल्प अवधि विश्राम गृह केन्द्रों का संचालन किया जाना है। इसी परिपेक्ष्य में गुमला जिला में नारी निकेतन भवन का संचालन किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के तहत ऐसी गरीब महिलाएँ जो विभिन्न जीविकापार्जन हेतु राँची आती है एवं राँची रेलवे स्टेशन में रात्रि विश्राम हेतु उन्हे विवश्ता में रुकना पड़ता हे। ऐसी महिलाओं के लिए राँची रेलवे स्टेशन के निकट एक आश्रय गृह संचालित किया जाना है। इन आश्रय गृहों का संचालन चयनित गैर सरकारी संस्था के माध्यम से किया जाना है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **21,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **19,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **40,00,000=00** (चालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

11. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

इस योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा रु० **15,000=00** की राशि आर्थिक सहायता के रुप में उपलब्ध करायी जाती है। राज्य सरकार की इस महत्त्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु०

7,20,00,000=00 तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **6,15,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **1,65,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **15,00,00,000=00** (पन्द्रह करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

12. डायन प्रथा का उन्मूलन

इस योजना के अंतर्गत राज्य के कई जिलों में डायन प्रथा के कारण महिलाओं पर अत्याचार होते रहे हैं। इस कुप्रथा के खिलाफ व्यापक अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रचार, प्रसार एवं कार्यशाला आयोजित कर लोगों में इसके विरूद्ध जागृत्ति लाने का प्रयास किया जाना है। इसके अतिरिक्त समाचार–पत्रों के माध्यम से भी प्रचार–प्रसार कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से चलाया जाना है। अतः योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **10,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **10,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **20,00,000=00** (बीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

13. किशोरी बालिकाओं तथा धाइयों को एन्टी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना

राज्य की निर्धन महिलाएँ एवं बच्चियाँ जो देश के विभिन्न महानगरों एवं नगरों आदि स्थानों पर दाई का काम करने के लिए पलायन करती हैं जहाँ वे शोषण एवं बंधुआ मजदूरी का शिकार हो जाती है, उनके लिए पुनर्वास का कार्यक्रम हेतु राँची एवं नई दिल्ली में हेल्प लाईन स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2012–13 से किशोरी बालिकाओं को भी एन्टी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पूर्नवास केन्द्र का संचालन किया जाना है। इसके लिए राँची एवं नई दिल्ली में पुनर्वास केन्द्र संचालित किया जाना है। इस योजना का क्रियान्वयन भी गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। अतः इन सब कार्यकलापों के सम्यक् संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **30,00,000=00** (तीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

14. आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय

राज्य के 204 बाल विकास परियोजनाओं के **35881** आंगनबाड़ी केन्द्रों की आँगनबाड़ी सेविकाओं को प्रतिमाह रु० **700=00** तथा सहायिकाओं रु० **350=00** तथा तथा **2551** लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को रु0 **350=00** की दर से अतिरिक्त मानदेय दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के श्रमसाध्य कार्यों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **24,96,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **23,04,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **48,00,00,000=00** (अढ़तालीस करोड़ पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

विकलांगों के लिए कल्याणार्थ कार्यक्रम

15. स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना

झारखण्ड राज्य में निवास कर रहे विभिन्न श्रेणियों के निःशक्त व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से प्रतिमाह **200=00** रू० की सम्मान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **27,36,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **23,37,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **6,27,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **57,00,00,000=00** (सन्तावन करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

16. स्पैष्टिक एवं अन्य विकलांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन

इस योजना के अन्तर्गत मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय संचालित किए जाने का

प्रावधान हैं। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा स्पैष्टिक बच्चों के लिए चलाये जा रहे विद्यालयों को अनुदान/सहयोग राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का क्रियान्वयन गैर सरकारी संस्था के माध्यम से किया जाना है। अतः योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **52,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **48,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

17. मूक–बधिर विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को मूक–बधिर विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत राज्य में मूक–बधिर विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना है। राज्य में गैर सरकारी क्षेत्र में कई संस्थाएं मूक–बधिर बच्चों की शिक्षा के कार्य में संलग्न है। अतः इस योजनान्तर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं को मूक बधिर विद्यालय के संचलानार्थ सहायता राशि उपलब्ध करानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **52,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **48,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

18. नेत्रहीन विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को नेत्रहीन विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत राज्य में नेत्रहीन विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना है। इस योजनान्तर्गत विभिन्न गैर–सरकारी संस्थाओं को नेत्रहीन विद्यालय के संचालनार्थ सहायता राशि उपलब्ध करानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **47,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **43,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **90,00,000=00** (नब्बे लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

19. विकलांगों के लिए विशेष उपकरण

इस योजना के अंतर्गत राज्य में विकलांगों को विभिन्न कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराये जाते हें जैसे– ट्राईसिकिल, श्रवण यंत्र, बैसाखी आदि। इन यंत्रों का क्रय जिला स्तर पर गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जाता है। विकलांगों के लिए विकलांगता का मानक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **34,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **28,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **8,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **70,00,000=00** (सत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

20. विकलांग छात्रवृति

इस योजना के अंतर्गत स्कूल तथा कॉलेज में पढ़नेवाले विकलांग छात्र–छात्राओं को अपना शैक्षणिक कार्य पूरा करने हेतु सरकार द्वारा निम्न दर से छात्रवृति प्रदान की जाती है :–

(i) कक्षा 1 से 8 तक सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले छात्र	**50** रु० प्रति छात्र प्रतिमाह
(ii) कक्षा 9 से स्नातक तक सरकारी विद्यालयों/कॉलेजों में पढ़नेवाले छात्र	**250** रु० प्रति छात्र प्रतिमाह
(iii) कक्षा स्नातक स्तर से ऊपर स्नातकोत्तर हेतु सरकारी कॉलेजों में पढ़नेवाले छात्र	**260** रु० प्रति छात्र प्रतिमाह

(iv) सरकारी आवासीय विद्यालयों में पढ़नेवाले कक्षा 1 से 8 तक के (आवासीय) छात्र	**100** रु० प्रति छात्र प्रतिमाह

इसके साथ–साथ अगर पंजीकृत गैर–सरकारी संस्था द्वारा विशेष रूप से केवल विकलांगों के लिए किसी विद्यालय का संचालन किया जा रहा है तो उसमें पढ़नेवाले नेत्रहीन, मूकबधिर, मंदबुद्धि तथा अन्य कारणों से विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित किया जाना है, बशर्ते विद्यालय गत तीन वर्षों से नियमित रूप से संचालित हो रहा हो तथा उसके शिक्षक प्रशिक्षित हों एवं संस्था के पास शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु विशेष उपकरण उपलब्ध हो। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **48,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **41,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **11,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

21. विकलांगों का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण

इस योजना के माध्यम से विकलांगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चल सकेगा तथा राज्य सरकार को विकलांगों की वास्तविक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की भी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। सर्वेक्षण कार्य आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के माध्यम से किया जाना है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **10,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **8,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **2,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **20,00,000=00** (बीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

22. विकलांगों के लिए कर्मशाला

इस योजना के अन्तर्गत विकलांगों के लिए कर्मशाला का आयोजन किया जाना है। जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाले विकलांग एबिलिम्पिक्स तथा अन्य कार्यक्रमों/समारोहों के लिए राशि उपलब्ध कराई जाती है। विकलांगों के उत्थान एवं मनोबल के परिवर्धन हेतु योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **20,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **18,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **38,00,000=00** (अड़तीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

पूरक पोषाहार कार्यक्रम **(50:50)**

23. (गर्भवती महिलाओं, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन)

राज्य के 204 बाल विकास परियोजनाओं के 35881 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 2551 लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों अर्थात कुल 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलानेवाली माताओं एवं बच्चों को पूरक पोषाहार की आपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में संबर्द्धित पोषाहार मॉडल के अनुसार की जानी है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित किये गये मापदंड के आलोक में सामान्य बच्चों पर 4.00 रु०, कुपोषित बच्चों पर 6.00 रु०, गर्भवती एवं धात्री माताओं पर 5.00 रु० प्रति लाभुक प्रतिदिन व्यय किया जाना है। पूरक पोषाहार की आपूर्ति से लाभुकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त होगा। इस योजना पर भारत सरकार वित्तीय मानको अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के **50%** की राशि वहन करेगी।

अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रु० **94,41,00,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रु० **80,64,00,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु०

21,64,00,000=00 अर्थात् कुल रु० **1,96,69,00,000=00** (एक अरब छियान्वे करोड़ उन्हत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

24. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला–पोषण) 50:50

इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र आ रही पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों (11–14 वर्ष) तथा सभी लड़कियों (15–18 वर्ष) को घर ले जाने वाले राशन के रुप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जायेगा। इस योजना पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय मानको अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के 50% राशि वहन किया जायेगा। किशोरियों को वर्ष में **300** दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा। पूरक पोषाहार हेतु प्रति किशोरी प्रति दिन **5=00** (पांच रुपये) व्यय किया जायेगा। अतः योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान मे रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० क्षेत्र अन्तर्गत रु० **12,86,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **10,98,00,000= 00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **2,95,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **26,79,00,000=00** (छब्बीस करोड़ उन्नासी लाख रूपये) मात्र का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

निर्माण एवं जीर्णोद्धार योजनाएँ :–

25. 13वे वित्त आयोग की अनुशंसा से आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण

13वे वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वर्ष 2012–13 में 2500 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण किया जाना है। 13वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **54,00,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **54,00,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,08,00,00,000=00** (एक अरब आठ करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

26. ओल्ड ऐज होम का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2012–13 में में मनोहरपुर (पश्चिमी सिंहभूम) एवं कोडरमा जिला में नये ओल्ड ऐज होम निर्माण की योजना है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत ओल्ड ऐज होम निर्माण हेतु रु0 **50,00,000=00** तथा पूर्व से निर्मित एवं प्रस्तावित भवन में फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों हेतु रु0 **7,00,000=00** कुल **57,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु0 **50,00,000=00** तथा पूर्व से निर्मित एवं प्रस्तावित भवन में फर्निचर एवं उपस्कर सामग्रियों हेतु रु0 **3,00,000=00** कुल **53,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,10,00,000=00** (एक करोड़ दस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

सांस्थिक योजनाएँ :–

27. राज्य महिला आयोग

राज्य में झारखण्ड राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। महिलाओं के उत्पीड़न एवं अधिकार–सुरक्षा की दृष्टि से इस आयोग का कार्यशील बने रहना उपयोगी होगा। अतः इसकी कार्यालय संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **80,00,000=00** (अस्सी लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

28. निःशक्तता आयुक्त के लिए कार्यालय की स्थापना

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निःशक्तता आयुक्त कार्यालय का संधारण एवं संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से विकलांग जनों के कल्याण संबंधी अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप मोबाईल डिसएबिलिटि कोर्ट का संचालन, विकलांगों के अधिकारों से संबंधित समुचित जानकारी प्रदान करने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन तथा प्रचार–प्रसार सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण आदि की योजना है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के कार्यान्वयन हेतु टी०एस०पी० क्षेत्र अंतर्गत रु० **40,00,000=00** (चालीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

29. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के निदेश के आलोक में किया गया है। केन्द्रीय बोर्ड तथा राज्य सरकार के बीच हुई सहमति के आलोक में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना इकाई का 50 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। अतः इस बोर्ड के कार्यों के संचालनार्थ हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **50,00,000=00** (पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

विविध योजनाएँ :–

30. ओल्ड ऐज होम संचालन

राज्य में निर्मित ओल्ड ऐज होम का संचालन गैर–सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाना है। इस योजना अन्तर्गत वृद्ध नागरिकों की सहायता, उनकी देखभाल एवं उपचार आदि की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **31,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **29,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **60,00,000=00** (साठ लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

31. अफटर केयर होम का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण) नियम–207 के उप नियम 38 के अर्न्तगत इन गृहों में वैसे बच्चों को रखे जाने का प्रावधान है जो विशेष गृह एवं बाल गृह से निकलकर आयेगें उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उपयोगी जीवन जीने योग्य बनाये जाने का प्रयास किया जाना है। राँची एवं दुमका में निर्माणाधीन अफटर केयर होम का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 के टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **30,00,000=00** (तीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

32. प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन आदि

इस योजना के अन्तर्गत निम्नाकित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं :–

(i) महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों के कल्याण हेतु सेमिनार, सम्मेलन, गोष्ठी आदि का आयोजन;

(ii) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों का आयोजन;

(iii) विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रमों आदि का आयोजन।

(iv) बाल कल्याण परिषद के कार्यक्रमों का आयोजन।

अतः योजना की आवश्यकता एवं महत्त्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **29,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **26,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **55,00,000=00** (पचपन लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

33. आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की आपूर्ति

आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के कुपोषण का पता लगाने के लिए तौल मशीन तथा सामुदायिक ग्रोथ चार्ट की अहम आवश्यकता होती है। वर्त्तमान में राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों में इन उपकरणों का अभाव होने या इनके पूराने हो जाने के कारण बच्चों के वजन तथा उनके कुपोषण संबंधी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट की आपूर्ति किया जाना आवश्यक है। ग्रोथ चार्ट एवं तौल मशीन का क्रय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जाना है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **52,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **48,00,000=00** अर्थात् कुल रु० रु० **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

34. बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के लिए बर्त्तन क्रय

राज्य के 204 बाल विकास परियोजना के 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में जहाँ पोषाहार कार्यक्रम हेतु बर्त्तन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई वैसे आंगनबाड़ी केन्द्रों/लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में बर्त्तन की आपूर्त्ति की जानी है। बर्त्तन का क्रय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से किया जाना है। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के कार्यान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **26,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **24,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **50,00,000=00** (पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

नई योजनाएँ

35. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को वर्दी (राज्याशं – **10%**)

यह एक नई योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को दो जोड़ा वर्दी दी जाने की स्वीकृति दी गई है। वर्दी के रूप में आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को साड़ी दी जाने की योजना है। प्रत्येक साड़ी का क्रय 200=00 रुपये के दर पर की जायेगी। राज्य में कुल **35881** आंगनबाड़ी सेविकाएँ एवं 38432 आंगनबाड़ी सहायिकाएँ है। भारत सरकार द्वारा इस योजना पर **90:10** के तहत राशि का वहन किया जायेगा अर्थात **90%** की राशि भारत सरकार के द्वारा जबकि **10%** की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेग। वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत जिलों में योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० **18,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत जिलों में योजना के कार्यान्वयन हेतु रु० **16,00,000=00** कुल रु० **34,00,000=00** (चौतीस लाख रूपये) मात्र राशि की आवश्यकता है जिसका प्रावधान बजट में कराने का प्रस्ताव है।

36. समेकित बाल संरक्षण योजना

समेंकित बाल संरक्षण योजना **(ICPS)** भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत बाल संरक्षण एंव किशोर न्याय के क्षेत्र में कार्य हेतु निम्नांकित राज्य एंव जिला स्तर के सेवा प्रदाताओं में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियो के वेतन एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाना है।

ICPS योजना का उदेश्य राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2000/2006 के प्रावघानों के अनुसार देखरेख एंव संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों एंव विधि का उल्लंधन मे लिप्त बच्चों को सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना तथा संस्थागत एवं परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवा प्रदान करना है। ये कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1. झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था **(JSCPS)**
2. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन संस्था **(SARA)**
3. जिला बाल संरक्षण संस्था **(DCPS)**
4. संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, शेल्टर गृह, विशेष गृह **(Juvenile Homes)**

इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति **(CWC)** एंव किशोर न्याय बोंड **(JJB)** तथा **Open Shelters for Children in Need in Urban and Semi-Urban areas** एवं विशेष दत्तकग्रहण संस्था **(SAA)** का क्रियान्वयन भारत सरकार के निदेश के आलोक में किया जाना है। **ICPS** योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

अतः इस योजना के का कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **3,75,00,000=00** एवं ओ0एस0पी0 अन्तर्गत कुल **3,46,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **7,21,00,000=00** (सात करोड़ एक्कीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

37. <u>स्वधार गृह का संचालन</u>

इस योजना के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार कार्यक्रम से जोड़ा जाना है। योजना का क्रियान्वयन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाना है। इस योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **5,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **5,00,000=00** अर्थात कुल **10,00,000=00** (दस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

38. <u>आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार</u>

राज्य में पूर्व से निर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र भवन जो जर्जर स्थिति में है उसकी मरम्मति एवं जीर्णोद्धार किये जाने की योजना है। जिलों से आवश्यकता आधारित ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की सूची प्राप्त की जायेगी। उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित प्राक्कलित राशि के आधार पर मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए जिलों को राशि उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष में 2012–13 के लिए टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **1,04,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **96,00,000=00** अर्थात कुल **2,00,00,000=00** (दो करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

39. <u>जिला समाज कल्याण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए कम्प्युटर की आपूर्ति</u>

राज्य में क्रियाशील जिला समाज कल्याण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए कम्प्युटर की आपूर्ति किया जाना है। जिला समाज कल्याण कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालयों में कम्प्युटर की आपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **52,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **48,00,000=00** अर्थात कुल **1,00,00,000=00** (एक करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

40. <u>जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियेाजना पदाधिकारियों के लिए गाड़ी का क्रय</u>

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यो को ध्यान में रखते हुए इन्हें गाड़ी उपलब्ध कराये जाने की योजना है। क्योंकि इन पदाधिकारियों को अपने कार्यों हेतु क्षेत्र का भ्रवण करना पड़ता है। इसके लिए इन्हें वाहन की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में इन कार्यो के लिए किराये पर

वाहन का उपयोग किया जा रहा हे। विभाग द्वारा समीक्षोपरान्त जिलों एवं परियोजना के इन पदाधिकारियों को टाटा सूमो विक्टा (गैर ए0सी0) वाहन उपलब्ध करया जाना है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **3,06,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **2,82,00,000=00** अर्थात कुल **5,88,00,000=00** (पांच करोड़ अट्ठासी लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है

41. आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर की आपूर्ति

राज्य में कुल स्वीकृत **38432** आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्टेश्नरी एवं फर्नीचर की आपूर्ति की जानी है। स्टेश्नरी के तहत दरी, पेन, रजिस्टर, स्टील बक्सा, ब्लैक बोर्ड, चौक आदि एवं फर्नीचर के रुप में कुर्सी, टेबुल तथा बेंच आदि की आपूर्ति की जानी है। इन समाग्रियों का क्रय जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **7,80,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **7,20,00,000=00** अर्थात कुल **15,00,00,000=00** (पन्द्रह करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

42. जीवन आशा

राज्य में अति गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों की पहचान कर इन बच्चों को समुदाय स्तर पर चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने की योजना है ताकि ऐसे बच्चों की मृत्यु दर को घटाया जा सके। यही कार्यक्रम जीवन आशा योजना नाम से चलाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में राज्य के सभी जिलों में अति गंभीर रुप से कुपोषित बच्चों को पहचान किया जाएगा। इन चिन्हित बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चें होगें, जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, उन्हें निकटतम MTC/MTEC में भर्ती कराकर उपचार की व्यवस्था की जाएगी। शेष बच्चों को समुदाय आधार पर ही उपचार की व्यवस्था की जाएगी साथ ही बच्चें कुपोषित नही हो इसके संबध में समुदाय के बीच जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक जिलों/प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कार्या येाजना बनाकर कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिए राज्य पोषण परिषद का गठन किया गया है। इन कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाए उपलब्ध कराने के साथ–साथ केलोरी/प्रोटीन युक्त भोजन भी उपलब्ध कराया जाना है। अतः इस महत्वकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **30,87,00,000=00**, ओ०एस०पी०, अंतर्गत रु० **26,37,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **7,07,00,000=00** अर्थात कुल **64,31,00,000=00** (चौसठ करोड़ एक्तीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

43. बिटिया वर्ष

इस कार्यक्रम के द्वारा महिला सशाक्तिकरण हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं को प्राप्त हो इसके लिए विभिन्न स्तर पर कार्यशाला, सेमिनार एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। राज्य में कन्या शिशु के प्रति सकारात्मक सोच लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा तेजस्विनी पात्रता कार्ड का प्रावधान किया जा रहा है। यह कार्ड राज्य की सभी बालिकाओं को तेज, सशक्त, ओजस्वी एवं कुशाग्र बिटिया के रुप में पहचान स्थापित करने में मददगार साबित होगा। इस कार्ड में बच्चियों के जन्म से पूर्व भ्रुर्ण संरक्षण तथा 18 वर्ष की आयु तक विभिन्न वैधानिक प्रावधानों, अधिकारों तथा सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं उनके लाभ लेने के तरीकों की विस्तृत विवरणी अंकित की जानी है। यह फोटोयुक्त कार्ड राज्य की प्रत्येक बच्चियों को उपलब्ध कराया जाना है ताकि समाज के साथ–साथ लड़कियों में भी अपने प्रति आत्मसम्मान की भावना जागृत हो सके। अत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष

2012–13 हेतु टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **1,04,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **96,00,000=00** अर्थात कुल **2,00,00,000=00** (दो करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

44. महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षिकाओं को जॉब कोर्स तथा रिफेशर्स कोर्स के प्रशिक्षण दी जानी है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विभाग द्वारा चयनित संस्थाओं के माध्यम से कराया जायेगा। अतः इस महत्वकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **26,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **24,00,000=00** अर्थात कुल **50,00,000=00** (पचास लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

45. अनुश्रवण कोषांग का संचालन

राज्य में कुल 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कुपोषण उपचार केन्द्रों के गहन अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण कोषांग का संचालन किया जा रहा है। इस कोषांग के माध्यम से सीधे तौर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ग्रामीणों से संपर्क कर केन्द्रों के खुलने, पाठशाला पूर्व शिक्षा की स्थिति, पोषाहार संचालन, राशि की उपलब्धता, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता इत्यादि की सूचना संकलित की जा रही है। जिला एवं परियोजना स्तर पर भी अनुश्रवण कोषांग का संचालन किया जाना है। इन कोषांगों के सृदृढ़ीकरण हेतु सुव्यस्थित कक्ष, प्रशिक्षित कर्मी, कम्प्यूटर, चालक, दुरभाष, कम्प्यूटर प्रिंटर सहित इण्टरनेट कनेकशन की व्यस्था की जानी है। अत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **16,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **14,00,000=00** अर्थात कुल **30,00,000=00** (तीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

अतः इस प्रकार राज्य योजना मद में सभी योजनाओं के अंतर्गत रु० **5,70,21,00,000=00** तथा अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **39,79,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **6,10,00,00,000=00** (छः अरब दस करोड़ रूपये) मात्र का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

राज्य योजना

(राशि लाख में)

क्रम	योजना का नाम	TSP	OSP	SCSP	प्रस्तावित राशि
					2012–13
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	STATE SHARE (CSS) 10%				
1	समेकित बाल विकास याजना (204 परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना)	2152.00	2030.00		4182.00
2	मेडिसीन किट्स	13.00	12.00		25.00
3	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स	22.00	20.00		42.00
4	प्रचार, शिक्षा एवं प्रचार	22.00	20.00		42.00
5	प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप)	23.00	21.00		44.00
	योग	**2232.00**	**2103.00**	**0.00**	**4335.00**
	AMOUNTWISE MAIN SCHEMES				
	Child Welfare				
6	प्रतिप्रेषण गृहों का जीर्णोद्धार तथा उपस्कर की आपूर्ति	52.00	48.00		100.00

7	बाल, अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	36.00	34.00		70.00
	योग	**88.00**	**82.00**	**0.00**	**170.00**
	WOMEN'S WELFARE				
8	कार्यर्यकारी महिला छात्रावास का निर्माण एवं उपस्कर की आपूर्ति	114.00	106.00		220.00
9	हेल्प लाईन योजना	50.00	30.00		80.00
10	तिरस्कृत, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए उत्तर–रक्षा गृह/नारी– निकेतन/शोर्ट–स्टेहोम–सह–प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन	21.00	19.00		40.00
11	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	720.00	615.00	165.00	1500.00
12	डायन प्रथा का उन्मूलन	10.00	10.00		20.00
13	किशोरी बालिकाओं तथा धाइयों को एन्टी ट्रैफिकिंग से बचाव हेतु पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	30.00			30.00
14	आँगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय	2496.00	2304.00		4800.00
	योग	**3441.00**	**3084.00**	**165.00**	**6690.00**
	WELFARE OF HANDICAPPED				
15	स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना	2736.00	2337.00	627.00	5700.00
16	स्पैष्टिक एवं अन्य विकलांग बच्चों के विशेष विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन	52.00	48.00		100.00
17	मूक बधिर विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को मूक बधिर विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशि	52.00	48.00		100.00
18	नेत्रहीन विद्यालयों का संचालन तथा गैर सरकारी संस्थान को नेत्रहीन विद्यालय के संचालन हेतु सहायता राशि	47.00	43.00		90.00
19	विकलांगों के लिए विशेष उपकरण	34.00	28.00	8.00	70.00
20	विकलांग छात्रवृति	48.00	41.00	11.00	100.00
21	विकलांगों का आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण	10.00	8.00	2.00	20.00
22	विकलांगों के लिए कर्मशाला	20.00	18.00		38.00
	योग	**2999.00**	**2571.00**	**648.00**	**6218.00**
	NUTRITION				
23	पूरक पोषाहार कार्यक्रम (गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन)	9441.00	8064.00	2164.00	19669.00
24	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (सबला)	1286.00	1098.00	295.00	2679.00
	योग	**10727.00**	**9162.00**	**2459.00**	**22348.00**
	CONSTRUCTION & RENOVATION SCHEMES				
25	13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण	5400.00	5400.00		10800.00
26	ओल्ड एज होम का निर्माण एवं उपस्कर की आपूति	57.00	53.00		110.00

	योग	**5457.00**	**5453.00**	**0.00**	**10910.00**
	INSTITUTIONAL SCHEMES				
27	राज्य महिला आयोग	80.00			80.00
28	आयुक्त निःशक्तता के लिए कार्यालय की स्थापना	40.00			40.00
29	समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	50.00			50.00
	योग	**170.00**	**0.00**	**0.00**	**170.00**
	MISCELLANEUS SCHEMES				
30	ओल्ड ऐज होम का संचालन	31.00	29.00		60.00
31	आफटर केयर होम का संचालन	30.00			30.00
32	प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन एवं विभिन्न अधिनियमों का कार्यान्वयन	29.00	26.00		55.00
33	आंगनबाड़ी केन्द्रों में तौल मशीन एवं ग्रोथ चार्ट	52.00	48.00		100.00
34	बाल विकास परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में खिचड़ी के लिए बर्त्तन क्रय	26.00	24.00		50.00
	योग	**168.00**	**127.00**	**0.00**	**295.00**
	NEW SCHEMES				
35	आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को वर्दी	18.00	16.00		34.00
36	समेंकित बाल संरक्षण योजना	375.00	346.00		721.00
37	स्वधार गृह योजना	5.00	5.00		10.00
38	आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का जीर्णोद्धार	104.00	96.00		200.00
39	जिला समाज कल्याण एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के लिए कम्प्युटर की आपूर्ति	52.00	48.00		100.00
40	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं बाल विकास परियेाजना पदाधिकारियों के लिए गाड़ी का क्रय	306.00	282.00		588.00
41	आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपस्कर की आपूति	780.00	720.00		1500.00
42	जीवन आशा	3087.00	2637.00	707.00	6431.00
43	बिटिया वर्ष	104.00	96.00		200.00
44	महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.00	24.00		50.00
45	अनुश्रवण कोषांग का संचालन	16.00	14.00		30.00
	योग	**4873.00**	**4284.00**	**707.00**	**9864.00**
		30155.00	**26866.00**	**3979.00**	**61000.00**

क <u>केन्द्र प्रायोजित योजना का केन्द्रांश (90%)</u>

वित्तीय वर्ष 2012–13 में समेकित बाल विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु 90 प्रतिशत की राशि भारत सरकार के स्तर पर वहन किया जायेगा जबकि 10 प्रतिशत की राशि का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

1. <u>समेकित बाल विकास योजना (204 बाल विकास परियोजना एवं 20 जिला समाज कल्याण कार्यालय के लिए स्थापना)</u>

यह एक चालू योजना है। भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं को रु० **3063=00** एवं सहायिकाओं को रु० **1500=00** प्रतिमाह एवं लधु आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं को रु0 **1500=00** की दर से मानदेय की राशि स्वीकृत किया गया है तथा ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्द्रों

के लिए किराया रु० **200=00** प्रतिमाह एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित आंगनबाड़ी केन्दों के लिए रु० **750=00** प्रतिमाह प्रतिकेन्द्र निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त कार्यालयों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतन एवं अन्य स्थापना मदों में राशि व्यय की जानी है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,72,76,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,59,48,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **3,32,24,00,000=00** (तीन अरब बत्तीस करोड़ चौबीस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

2. <u>मेडिसिन किट्स</u>

यह एक चालू योजना है। आँगनबाड़ी केन्द्रों पर भारत सरकार के निर्देश के आलोक में मेडिसिन किट्स देने का प्रावधान है ताकि साधारण बीमारियों का प्राथमिक उपचार/रोक–थाम किया जा सके तथा बेहतर उपचार के लिए निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल में भेजने का परामर्श दिया जा सके। भारत सरकार द्वारा मेडिसिन किट्स की आपूर्ति हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष दर **600=00** रूपया निर्धारित की गई है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,19,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,09,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **2,28,00,000=00** (दो करोड़ अठाईस लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

3. <u>स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स</u>

यह एक चालू योजना है। इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जानी है, जिसके अन्तर्गत खेल–खेल के माध्यम से बच्चों के सामाजिक, शारिरिक, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास का प्रयास किया जाता है। इस प्राथमिक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में प्री–स्कूल किट्स की आपूर्ति की जानी है। भारत सरकार द्वारा प्री–स्कूल किट्स की आपूर्ति हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष **1000=00** रूपये निर्धारित की गई है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,96,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,80,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **3,76,00,000=00** (तीन करोड़ छियत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

4. <u>प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार</u>

यह एक चालू योजना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों को इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूकता सृजित की जानी है। भारत सरकार द्वारा प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रति केन्द्र प्रतिवर्ष **1000=00** रूपये निर्धारित की गई है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,96,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,80,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **3,76,00,000=00** (तीन करोड़ छियत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

5. <u>प्रशिक्षण (स्ट्रेप)</u>

यह एक चालू योजना है। भारत सरकार इस योजना पर **90%** राशि वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार को 10% की राशि इस योजना पर व्यय किया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य की आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका/महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में

रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **2,06,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,90,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **3,96,00,000=00** (तीन करोड़ छियान्वे लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

ख केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ :–

6. किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी योजना (**Icyk**) 50:50

यह योजना किशोरी शक्ति योजना एवं पायलट परियोजना (किशोरी बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम) को मिलाकर **Icyk** योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र आ रही पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों (11–14 वर्ष) तथा सभी लड़कियों (15–18 वर्ष) को घर ले जाने वाले राशन के रुप में पूरक पोषाहार प्रदान किया जाना है। इस योजना पर भारत सरकार वित्तीय मानको अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के **50%** राशि व्यय करेगी। किशोरियों को वर्ष में **300** दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जायेगा। पूरक पोषाहार हेतु प्रति किशोरी प्रति दिन **5=00** (पांच रुपये) व्यय किया जाना है। अतः योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान मे रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० क्षेत्र अन्तर्गत रु० **12,86,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **10,98,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **2,95,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **26,79,00,000=00** (छब्बीस करोड़ उन्नासी लाख रूपये) मात्र का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

7. पूरक पोषाहार कार्यक्रम (गर्भवती महिलाओं, बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन)

राज्य के 204 बाल विकास परियोजनाओं के 35881 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 2551 लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों अर्थात कुल 38432 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं, दूध पिलानेवाली माताओं एवं बच्चों को पूरक पोषाहार की आपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में संबर्द्धित पोषाहार मॉडल के अनुसार की जानी है। भारत सरकार द्वारा इसके लिए निर्धारित किये गये मापदंड के आलोक में सामान्य बच्चों पर 4.00 रु०, कुपोषित बच्चों पर 6.00 रु०, गर्भवती एवं धात्री माताओं पर 5.00 रु० प्रति लाभुक प्रतिदिन व्यय किया जाना है। पूरक पोषाहार की आपूर्ति से लाभुकों को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी एवं प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त होगा। इस योजना पर भारत सरकार द्वारा वित्तीय मानको अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के **50%** की राशि वहन किया जायेगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **94,41,00,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **80,64,00,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **21,64,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **1,96,69,00,000=00** (एक अरब छियान्वे करोड़ उनहत्तर लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

ग केन्द्रीय योजनागत योजनाएँ :–

8. राज्य परियोजना सहायक इकाई

यह एक चालू योजना है। समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु यह एक अस्थायी व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों की पहचान कर जिला एवं राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के द्वारा किया जाना है। अत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु केन्द्रीय योजनागत योजना के टी०एस०पी० अंतर्गत कुल रु० **44,00,000=00** (चौवालिस लाख रूपये) मात्र राशि की आवश्यकता है जिसका प्रावधान बजट में कराने का प्रस्ताव है।

9. महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र का संचालन

यह एक चालू योजना है। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र के संचालन की स्वीकृति दी गयी है। भारत सरकार की स्वीकृति के आलोक में विभाग द्वारा इसका संचालन झारखण्ड महिला विकास समिति के माध्यम से कराया जाना है। अत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु केन्द्रीय योजनागत योजना के टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **17,00,000=00** (सत्रह लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

10. किशोरी शक्ति योजना

यह एक चालू योजना है। किशोरी शक्ति योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष के बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण–स्तर में सुधार, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उनकी दक्षता में वृद्धि तथा निर्णय लेने की योग्यता को विकसित करना एवं गृह आधारित व्यावसायिक योग्यता की वृद्धि तथा उनके स्वास्थ्य, पोषण, साफ–सफाई, परिवार कल्याण, गृह प्रबंधन बच्चों की देख–रेख के प्रति जागरूकता पैदा करना है। अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,06,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **90,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **24,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **2,20,00,000=00** (दो करोड़ बीस रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

11. किशोरी बालिकाओं के लिए शास्क्तीकरण हेतु राजीव गांधी योजना **¼lcyk& xSj iks"k.k½**

यह योजना पूर्व से चली आ रही है। किशोरी शक्ति योजना एवं पायलट परियोजना (किशोरी बालिकाओं के लिए पोषाहार कार्यक्रम) को मिलाकर भारत सरकार द्वारा **lcyk** योजना आरम्भ की गई है। इस योजना का उद्देश्यक है कि 11–18 वर्ष आयु की किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार उनके घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों और व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करके उनका सशक्तीकरण करना है। भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में किशोरियों के गैर पोषण कार्य (विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा, सूचना, प्रचार–प्रसार आदि) की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० क्षेत्र अन्तर्गत रु० **1,90,00,000=00** तथा ओ०एस०पी० अन्तर्गत रु० **1,62,00,000=00** एवं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **44,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **3,96,00,000=00** (तीन करोड़ छियान्वे लाख रूपये) मात्र का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

12. इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

यह एक चालू योजना है। इस योजना का उद्देश्य है कि गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान करके अनुकुल वातावरण के निर्माण में योगदान करना है। 19 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिलाओं को प्रथम दो बच्चों के लिए यह लाभ दिया जायेगा। उनकी स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार हेतु मातृत्व लाभ के रुप में प्रति लाभूकों **4000=00** रुपये तीन किस्तों में उपलब्ध कराया जाना है। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सहयोग प्रदान करने के लिए क्रमशः **200=00** एवं **100=00** रुपये प्रोत्साहन राशि दी जानी है। अतः इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अन्तर्गत रु० **8,01,00,000=00** तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत उपयोजना के लिए रु० **99,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **9,00,00,000=00** (नौ करोड़ रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

नई योजनाएँ :–

13. आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को वर्दी (केन्द्रांश – **90%**)

यह एक नई योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को दो जोड़ा वर्दी दी जाने की स्वीकृति दी गई है। वर्दी के रुप में आंगनबाड़ी सेविका/ सहायिका को साड़ी दी जाने की योजना है। प्रत्येक साड़ी का क्रय 200=00 रुपये के दर पर की जायेगी। राज्य में कुल **35881** आंगनबाड़ी सेविकाएँ एवं 38432 आंगनबाड़ी सहायिकाएँ है। भारत सरकार द्वारा इस योजना पर **90:10** के तहत राशि का वहन किया जायेगा अर्थात **90%** की राशि भारत सरकार के द्वारा जबकि **10%** की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेग। अतः वित्तीय वर्ष 2012–13 में योजना के कार्यान्वयन हेतु टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **1,60,00,000=00** एवं ओ०एस०पी० अंतर्गत रु० **1,48,00,000=00** अर्थात कुल रु० **3,08,00,000=00** (तीन करोड आठ लाख रूपये) मात्र राशि की आवश्यकता है जिसका प्रावधान बजट में करने का प्रस्ताव है।

14. समेकित बाल संरक्षण योजना

समेंकित बाल संरक्षण योजना **(ICPS)** भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत बाल संरक्षण एंव किशोर न्याय के क्षेत्र में कार्य हेतु निम्नांकित राज्य एंव जिला स्तर के सेवा प्रदाताओं में संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियो के वेतन एवं किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाना है।

ICPS योजना का उदेश्य राज्य में किशोर न्याय अधिनियम 2000/2006 के प्रावधानों के अनुसार देखरेख एंव संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों एंव विधि का उल्लंधन मे लिप्त बच्चों को सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना तथा संस्थागत एवं परिवार आधारित गैर संस्थागत सेवा प्रदान करना है। ये कार्यक्रम निम्नवत् है :–

1. झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था **(JSCPS)**
2. राज्य दत्तकग्रहण संसाधन संस्था **(SARA)**
3. जिला बाल संरक्षण संस्था **(DCPS)**
4. संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, शेल्टर गृह, विशेष गृह **(Juvenile Homes)**

इसके अतिरिक्त बाल कल्याण समिति **(CWC)** एंव किशोर न्याय बोंड **(JJB)** तथा **Open Shelters for Children in Need in Urban and Semi-Urban areas** एवं विशेष दत्तकग्रहण संस्था **(SAA)** का क्रियान्वयन भारत सरकार के निदेश के आलोक में किया जाना है। **ICPS** योजना का क्रियान्वयन झारखण्ड राज्य बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से किया जायेगा।

अतः इस योजना के का कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में टी०एस०पी० अंतर्गत रु० **9,97,00,000=00** एवं ओ0एस0पी0 अन्तर्गत कुल **9,21,00,000=00** अर्थात् कुल रु० **19,18,00,000=00** (उन्नीस करोड़ अठारह लाख रूपये) का बजट उपबंध करने का प्रस्ताव है।

अतः इस प्रकार केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल **5,91,74,00,000=00** (पांच अरब एकान्वे करोड़ चौहत्तर लाख रूपये) तथा केन्द्रीय योजनागत अन्तर्गत उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल **15,77,00,000=00** (पन्द्रह करोड़ सत्तर लाख रूपये) अर्थात कुल रु० **6,07,51,00,000=00** (छः अरब सात करोड़ एकावन लाख रूपये) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट में उपबंध करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय योजनाएँ

(राशि लाख में)

Sl. No.	Name of the Scheme	Funding Pattern	TSP	OSP	SCSP	Proposed Outlay 2012-13
1	2	3	4	5	6	7
	केन्द्र प्रायोजित योजना					
1.	आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका को वर्दी (नई योजना)	90%	160.00	148.00		308.00
2	समेकित बाल विकास योजना (सामान्य) (204 परियोजनाओं एवं 20 जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय के लिए स्थापना)		17276.00	15948.00		33224.00
3	मेडिसीन किट्स		119.00	109.00		228.00
4	स्कूल पूर्व शिक्षा किट्स		196.00	180.00		376.00
5	प्रचार, शिक्षा एवं प्रसार		196.00	180.00		376.00
6	प्रशिक्षण कार्यक्रम (स्ट्रेप)		206.00	190.00		396.00
	योग–1		**18153.00**	**16755.00**		**34908.00**
7	समेकित बाल संरक्षण योजना (नई योजना)	50%	997.00	921.00		1918.00
8	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) पोषाहार कार्यक्रम		1286.00	1098.00	295.00	2679.00
9	पूरक पोषाहार कार्यक्रम (गर्भवती महिलाओं, बच्चों एवं दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भोजन)		9941.00	8064.00	2164.00	19669.00
	योग–2		**11724.00**	**10083.00**	**2459.00**	**24266.00**

	केन्द्रीय योजनागत योजना					
10	राज्य परियोजना सहायक ईकाई	100%	44.00			44.00
11	महिलाओं के लिए राज्य संसाधन केन्द्र का संचालन		17.00			17.00
12	किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला) गैर पोषण योजना		190.00	162.00	44.00	396.00
13	इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (नई योजना)		801.00		99.00	900.000
14	किशोरी शक्ति योजना		106.00	90.00	24.00	220.00
	योग–3		**1158.00**	**252.00**	**167.00**	**1577.00**
	योग (1+2+3)		**31035.00**	**27090.00**	**2626.00**	**60751.00**

(III) गैर योजना

1. समाज कल्याण विभाग कार्यालय

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य स्थापना इकाईयों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **1,61,97,000** (एक करोड़ एकसठ लाख सन्तान्वे हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

2. निदेशन एवं प्रशासन

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता एवं अन्य स्थापना इकाईयों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **78,86,000** (अठहत्तर लाख छियासी हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

3. प्रतिप्रेषण गृह

राज्य के सात जिलों, यथा– राँची, हजारीबाग, दुमका, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर एवं चाईबासा, में प्रतिप्रेषण गृहों का संचालन सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नव निर्मित बाल गृह–गुमला, सिमडेगा एवं बोकारों में भी संचालन किया जा रहा है। इन गृहों में रहने वाले कानूनी रुप से विवादित बच्चों को मुफ्त भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाती है। इन अन्तेवासियों के रख–रखाव की निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है। इन गृहों में अन्तेवासियों को निम्नांकित दर पर भोजन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायी जा रही हैः–

भोजन (जलपान सहित)	–	1030 रू० प्रतिमाह
विशेष भोजन	–	40 रू० वार्षिक
वस्त्र	–	1000 रू० वार्षिक
दवा	–	100 रू० प्रतिमाह
तेल–साबुन, सोडा	–	100 रू० प्रतिमाह

अतः इस योजना की आवश्यकता एवं महत्व को ध्यान में रखते हुए इन गृहों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य स्थापना ईकाईयों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **3,24,59,000** (तीन करोड़ चौबीस लाख उनसठ हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

4. नेत्रहीन विद्यालय

राज्य के राँची जिले में एक नेत्रहीन विद्यालय सरकार द्वारा संचालित है। वर्त्तमान में इस विद्यालय में आवासियों का कुल स्वीकृत बल 25 है। सरकार द्वारा इन नेत्रहीन छात्रों को ब्रेल लिपि में मुफ्त पठन–पाठन सामग्री, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा छात्रावास

में रहने वाले छात्रों को वर्तमान में निम्नांकित दर पर भोजन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैः–

भोजन (जलपान सहित)	–	1030 रू० प्रतिमाह
विशेष भोजन	–	40 रू० वार्षिक
वस्त्र	–	1000 रू० वार्षिक
तेल–साबुन, सोडा	–	100 रू० प्रतिमाह
दवा	–	100 रू० प्रतिमाह
चिकित्सा	–	50 रु0 प्रतिमाह
पठन–पाठन	–	300 रु0 वार्षिक

विभाग द्वारा नेत्रहीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य स्थापना इकाइयों की आवश्यकता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **29,97,000** (उन्तीस लाख सन्तान्वे हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

5. मूक–बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण

राज्य के राँची एवं दुमका जिलों में मूक–बधिर विद्यालय सरकार द्वारा संचालित हैं। इनमें छात्रों की कुल स्वीकृत संख्या 30 एवं 25 हैं। सरकार द्वारा इन मूक–बधिर छात्रों को मुफ्त पठन–पाठन सामग्री, भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सरकार द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों को निम्नांकित दर पर भोजन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही हैः–

भोजन (जलपान सहित)	–	1030 रू० प्रतिमाह
विशेष भोजन	–	40 रू० वार्षिक
वस्त्र	–	1000 रू० वार्षिक
तेल–साबुन, सोडा	–	100 रू० प्रतिमाह
दवा	–	100 रू० प्रतिमाह
चिकित्सा	–	50 रु0 प्रतिमाह
पठन–पाठन	–	300 रु0 वार्षिक

अतः उपर्युक्त दर को ध्यान में रखते हुए इन विद्यालयों की स्थापना इकाईयों में अवश्यकता को देखते हुए कुल रु० **84,66,000** (चौरासी लाख छियासठ हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

6. डे–केयर/क्रेश केन्द्र का स्थापना

राज्य के राँची, जमशेदपुर एवं बोकारो जिलों में यह योजना चलाई जा रही है। इसके अन्तर्गत कामकाजी एवं रूग्ण महिलाएं अपने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इन संस्थाओं में रखती हैं। इसके स्थापना ईकाई के विभिन्न मदो में वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **29,44,000** (उन्तीस लाख चौव्वालीस हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

7. अन्तरजातीय विवाह

इस योजना के अन्तर्गत अन्तरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 25,000/– रूपये प्रतिजोड़ा की दर से भुगतान किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल रु० **20,00,000** (बीस लाख रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

8. झारखण्ड महिला विकास समिति के कार्यालय संचालन हेतु

झारखण्ड महिला विकास समिति के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन इनके माध्यम से सुनिश्चित कराया जा रहा है जैसे – स्वशक्ति योजना के अंतर्गत गठित महिला समूहों का नर्चिरिंग करना तथा, स्ट्रेप (प्रशिक्षण कार्यक्रम) आदि का भी अनुश्रवण किया जाता

है। अतः योजना के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस कार्यालय के संचालन हेतु कुल रु० **26,03,000** (छब्बीस लाख तीन हजार रूपये) का बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

9. किशोर न्याय बोर्ड का स्थापना

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत राज्य के जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया गया है, बोर्ड/समिति के सदस्यों के बैठक भत्ता आदि के भुगतान की आवश्यकता को देखते हुए रु0 **1,00,00,000** (एक करोड़ रूपये) एवं राज्य के 21 जिलों में किशोर न्याय बोर्ड तथा 24 जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन किया गया है। उक्त बोर्ड/समिति के कार्यालयो के लिए उपस्कर आदि की क्रय की आवश्यकता को देखते हुए रु0 **10,00,000** (दस लाख रुपयो) अर्थात कुल रु० **1,10,00,000** (एक करोड़ दस लाख रूपये) का वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है।

अतः गैर योजनान्तर्गत उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि रु० **8,65,52,000** (आठ करोड़ पैसठ लाख बावन हजार रूपये) का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

2012–13 के गैर योजनान्तर्गत प्रस्तावित योजनाएँ

(राशि लाख में)

क्रम सं०	गैर योजना का नाम	वर्ष 2012–13 (प्रस्तावित राशि)
1	2	3
1	समाज कल्याण विभाग	161.97
2	निदेशन एवं प्रशासन	78.86
3	प्रतिप्रेक्षण गृह	324.59
4	राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय का स्थापना	29.97
5	राजकीय मूक एवं बधिर विद्यालय का स्थापना	84.66
6	डे–केयर/क्रेश केन्द्र का स्थापना	29.44
7	अन्तरजातीय विवाह	20.00
8	झारखण्ड महिला विकास समिति के कार्यालय संचालन हेतु	26.03
9	किशोर न्याय बोर्ड का स्थापना	110.00
	कुल योग	**865.52**